स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्या: 132, दिनांक 26–04–2025</u>

Social Media Platform पर विभिन्न चिकनकारी कम्पनियों का Fake Page बनाकर Online ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 सदस्य कोलकाता से गिरफ्तार।

दिनांकः 24–04–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को Social Media Platform पर विभिन्न चिकनकारी कम्पनियों के नाम का Fake Page बनाकर Online ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>:–

1. मो0 सईद हुसैन उर्फ जीशान पुत्र मो0 असगर हुसैन निवासी 4rth floor मीना मंजिल, 8 भूकैलाश रोड मोमिनपुर खिदिरपुर थाना इकबालपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल। (सरगना) शिक्षा– होटल मैनेजमेंट, उम्र 19 वर्ष।
2. मो0 जाबिर पुत्र मो0 साबिर निवासी 1/1 एच/7 बंगाली शाह वारसी लेन थाना इकबालपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल। शिक्षा– बीकाम, उम्र 25 वर्ष।
3. जैनब जाकिर पुत्री स्व0 जाकिर हुसैन निवासी 1/1 रामेश्वरशाह रोड थाना बनियापुकुर कोलकाता पश्चिम बंगाल। शिक्षा– 12वीं, उम्र 19 वर्ष।

<u>बरामदगी–</u>

1– 03 अदद मोबाइल फोन।
2– 05 अदद डेबिट/क्रेडिट कार्ड।
3– 01 अदद पासबुक।
4– 01 अदद आधार कार्ड।
5– 01 अदद पैन कार्ड।
6– 01 अदद वाईफाई राउटर मय चार्जर।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–</u> स्थानः थाना क्षेत्र इकबालपुर, कोलकाता पश्चिम बंगाल। दिनांकः 24–04–2025 समयः 17:15 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से Social Media Platform पर विभिन्न चिकनकारी कम्पनियों के नाम से Fake Page बनाकर Online ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि दिनांक 07–04–2025 को mehrkari chikan company hazratganj के मालिक अथर्व आर्या द्वारा कोतवाली हजरतगंज लखनऊ में मु0अ0स0 94/2025 धारा 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया, कि उनकी कम्पनी के नाम पर एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर, लोगों से कपडों का Online आर्डर लेकर कम्पनी का

नाम जीएसटी नम्बर व पते का उपयोग कर कूटरचित इनवाइस/दस्तावेज बनाकर आर्डर की इनवाइस WhatsApp के माध्यम से लोगों को भेज कर पूरे भारत में वित्तीय धोखाधडी/ठगी की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 24–04–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त संगठित गिरोह के सरगना सहित 03 अभियुक्तों को इकबालपुर थाना क्षेत्र कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ मे पता चला कि मो0 सईद हुसैन IIHM Collage Kolkata से होटल मैनेजमेंट कर रहा है। उसकी मौसी का लडका मो0 जाबिर पूर्व में विप्रो कम्पनी में जाब करता था व बाद में टेकसपोर्ट फ्राड करने वाली कम्पनी में एजेंट के रूप में काम कर चुका है। जाबिर वर्तमान समय में जाबिर हम्जा गारमेंट नाम से कम्पनी बनाकर आनलाइन कपडों का आर्डर लेकर बेचने का काम करता है। जाबिर द्वारा सईद हुसैन व उसकी महिला मित्र जैनब जाकिर को Social Media Platform पर विभिन्न चिकनकारी कम्पनियों के नाम से Fake Page बनाकर Online ठगी करने का आइडिया दिया गया। इसके बाद सईद हुसैन व जैनब जाकिर द्वारा Social Media Platform पर विभिन्न चिकनकारी कम्पनियों के नाम से Fake Page बनाकर Online ठगी करने का कार्य जनवरी 2025 से किया जा रहा है। जैनब व सईद द्वारा नजाकत चिकन कम्पनी की Instagram id से कपडों की फोटो निकालकर जैनब द्वारा बनायी गयी thechikankari नाम की व अन्य 4–5 अन्य Instagram id पर उन फोटो को पोस्ट कर लोगों से आनलाइन आर्डर लिये जाते थे। इसके बाद विभिन्न कम्पनियों की जीएसटी नम्बर व पते का उपयोग कर कूटरचित इनवाइस/दस्तावेज Picart App के माध्यम से बनाकर आर्डर की इनवाइस WhatsApp से लोगों को भेज कर विभिन्न UPI & Bank Account में लोगों से रूपये ट्रांसफर करा लिया जाता था। जिसमें बैंक खाते मो0 जाबिर व मो0 सईद के साथ IIHM Collage Kolkata में साथ पढने वाले रोहित मन्ना द्वारा उपलब्ध कराये जाते थे। उन खातों के एटीएम कार्ड सईद अपने पास रखता था जब बैंक खातों मे रूपये आ जाते थे तब सईद एटीएम के माध्यम से उन रूपयों को कैश में निकालकर गिरोह के सदस्यों को उनके हिस्से के अनुसार बांट देता था।

इस गिरोह द्वारा Social Media Platform के माध्यम से दर्जनों कम्पनियों का नाम प्रयोग कर सम्पूर्ण भारत में सैकडों लोगों से आनलाइन वित्तीय धोखाधडी/ठगी की गयी है। अभियुक्तों द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जोयेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0स0 94/2025 धारा 318(4)/319, 336 (3)/336 (4)/340 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 66 डी आईटी एक्ट थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।